दिनांक–02.11.2026 को सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की अध्यक्षता में निष्पादित/लंबित पत्रों/लंबित संचिका/लंबित वाद/अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति से संबंधित लंबित मामलों के संबंध में संबंधित सभी प्रशाखा पदाधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:–

प्रशाखा–1

- लंबित पत्रों की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि एक सप्ताह से कम लंबित पत्रों की संख्या 13 है। लंबित पत्रों का निष्पादन एक सप्ताह के अंदर पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

प्रशाखा–2

- लंबित पत्रों की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि एक सप्ताह से अधिक लंबित पत्रों की संख्या 8 है लंबित पत्रों का निष्पादन एक सप्ताह के अंदर पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

प्रशाखा–3

- अनुकंपा पर नियुक्ति हेतु जो अनुशंसा भेजी गई है, उसके आलोक में नियुक्ति की गई है या नहीं। संबंधित प्रक्षेत्र से कर्मीवार पदस्थापन के संदर्भ में सूचना प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

प्रशाखा–4

- लंबित पत्रों की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि एक सप्ताह से अधिक लंबित पत्रों की संख्या 26 है जबकि विगत बैठक में इसकी संख्या 17 थी। लंबित पत्रों का निष्पादन एक सप्ताह के अंदर पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

प्रशाखा–6

- लंबित पत्रों की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि एक सप्ताह से अधिक लंबित पत्रों की संख्या 79 है जो मूलतः अधियाचना से संबंधित है। जबकि विगत बैठक में इसकी संख्या 89 थी। शेष अधियाचना पत्रों को MIS पोर्टल पर दी गयी सूचना के आधार पर निष्पादन एक सप्ताह के अंदर पूर्ण करने हेतु निदेशित किया गया।

- **प्रशाखा–9**
  - लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर द्वारा जिला कोर्ट में सरकारी वकील द्वारा अतिरिक्त वकील की माँग की गई, उक्त से संबंधित संचिका विधि विभाग को पृष्ठांकित की गई है। उसे Follow up करने हेतु निदेशित किया गया।

प्रशाखा–12

- लंबित पत्रों की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि एक सप्ताह से अधिक लंबित पत्रों की संख्या 28 है जो मूलतः अधियाचना से संबंधित है। जबकि विगत बैठक में इसकी संख्या 47 थी। शेष अधियाचना पत्रों को MIS पोर्टल पर दी गयी सूचना के आधार पर निष्पादन एक सप्ताह के अंदर पूर्ण करने हेतु निदेशित किया गया।

अन्यान्यः–

1. स्थायी वित्त समिति से संबंधित संचिका परामर्श के उपरांत ही संचिका को अग्रेतर कार्रवाई हेतु उपस्थापित करने का निदेश दिया गया ताकि एक ही बार तिथि का निर्धारण किया जा सके।
2. अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित प्रमाण–पत्र सत्यापन का कार्य एक सप्ताह में पूर्ण कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः–अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (मु॰)

3. महुआ से संबंधित जलापूर्त्ति योजनाओं से संबंधित प्रस्तावों को तकनीकी स्वीकृति एवं निविदा प्रक्रिया अगले बुधवार तक पूर्ण कराने हेतु निदेश दिया गया।
4. तारापुर और संग्रामपुर की DPR को इसी सप्ताह तक लोक वित्त और वेटिंग के लिए भेजने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः–अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (का॰प्र॰)/मुख्य अभियंता (दक्षिण बिहार)/अधीक्षण अभियंता, श्री गजेन्द्र पासवान

5. MVS अधौरा के संदर्भ में वन विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र की संचिका में आवश्यक दस्तावेजों को परिवेश पोर्टल पर अपलोड करने की कार्रवाई को तत्काल पूर्ण करने का निदेश दिया गया।
6. LOT फेज–2 के अंतर्गत जिन प्रमंडलों/जिलों से प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं, उसके प्राक्कलन की जाँच करने की प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ की जाय।

अनुपालनः–मुख्य अभियंता (अनुश्रवण)

7. जिन प्रमंडलों द्वारा अधियाचना MIS पोर्टल पर अपलोड किया गया है उन प्रमंडलों के अधियाचना एवं उससे संबंधित विद्युत विपत्र की जाँच मुख्य अभियंता (यांत्रिक) सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालनः–मुख्य अभियंता (यांत्रिक)

8. CWJC/MJC मामलों में सभी संचिकाओं को समयबद्ध तरीके से निष्पादन करते हुए अवशेष न्यायालयी वादों की अद्यतन स्थिति से नियमित अवगत कराते रहने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः–संतोष कुमार–2/अली हैदर

9. CM Dashboard पर प्राप्त मामलों का निष्पादन विभागीय स्तर पर हो जाने के बावजूद उन्हें ऑनलाइन पोर्टल पर बंद नहीं किया जाता है। इसके लिए नोडल पदाधिकारी स्वयं वहाँ जाकर निष्पादित फाइलों का सत्यापन कराकर उन्हें ऑनलाइन पोर्टल पर बंद करवाना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही अद्यतन रिपोर्ट अपर सचिव के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे।

अनुपालनः–अधीक्षण अभियंता (जल गुणवत्ता) उत्तर बिहार

10. सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित संचिका को फॉलो–अप करते हुए अद्यतन स्थिति से अपर सचिव को अवगत कराएँगे।

अनुपालनः–प्रशाखा पदाधिकारी–8

11. 1 नवम्बर, 2026 से मैनुयल अधियाचना बंद कर शत–प्रतिशत ऑनलाइन पोर्टल माड्यूल लागू करने तथा सभी प्रशाखा पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारी को प्रशिक्षण देने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः–निशांत/IT. Manager

(बी॰ कार्तिकेय धनजी)
सचिव

ज्ञापांकः–183/स0 को0 दिनांक– 02/11/2026

प्रतिलिपिः–विशेष सचिव/अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (मु॰/का॰प्र॰)/अपर सचिव/सभी मुख्य अभियंता (उत्तर बिहार/दक्षिण बिहार/यांत्रिक/अनुश्रवण)/संबंधित नोडल पदाधिकारी/आई॰टी॰ मैनेजर/संबंधित सभी पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
बिहार पटना